बिहार सरकार

महेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०
जिलाधिकारी, सुपौल।

बिहार सरकार
समाहरणालय, सुपौल
सुपौल – 852131
(गोपनीय शाखा)

दूरभाष : 06473–223112 (कार्या0)
06473–224210 (फैक्स)
06473–223111, 223311(आवास)
06473–223041 (फैक्स)
E-mail : dm-supaul.bih@nic.in
Website : www.supaul.nic.in

–: आदेश :–

सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर "The Epidemic Diseases COVID-19 Regulation, 2020" **की धारा–17 एवं 18 तथा गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 3472 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में समुदाय के जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 758–2/गो0 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा** नगर परिषद्, सुपौल के सभी 28 वार्डों में निहित शर्तों के अधीन दिनांक 10.07.2020 से 12.07.2020 तक के लिए लॉकडाउन किया गया था। वर्णित अवधि में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों की संख्या में अपेक्षित सुधार दिख नहीं रहा है।

अतः उपरोक्त स्थिति में सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र में इस कार्यालय से निर्गत आदेश ज्ञापांक 758–2/गो0 दिनांक 08.07.2020 में वर्णित शर्तों के अधीन लॉकडाउन की अवधि दिनांक 13.07.2020 से 15.07.2020 तक के लिए अवधि विस्तार किया जाता है।

इस कार्यालय के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 757–2/गो0 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित होकर लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए अपने कर्त्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल उक्त वर्णित अवधि में नियमित रूप से भ्रमण करते हुए लॉकडाउन को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को आवश्यक निदेश देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
सुपौल।

ज्ञापांक 789-2/गो0, सुपौल दिनांक 12.07.2020

प्रतिलिपि : सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, सुपौल/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल/अंचल अधिकारी, सुपौल/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/2020

जिलाधिकारी,
सुपौल।